उत्तरांचल शासन
वित्त (सा0नि0–वे0आ0)अनुभाग–7
संख्या–186 /XXVII(7)/2006
दिनांक देहरादून : 08 मार्च, 2006

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय में अब तक विद्यमान नियमों का अधिक्रमण करते हुए राज्यपाल राज्य कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के विनियमन के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 2006 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं :

(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(क) ऐसे समूह "घ" के कर्मचारियों के संबंध में जिनका लेखा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है, "लेखा अधिकारी" से सम्बद्ध आहरण एवं वितरण अधिकारी और अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में अधिकारी अभिप्रेत है जिसको भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि लेखा का अनुरक्षण करने का कार्य सौंपा गया हो;

(ख) "परिलब्धि" से यदि स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित हो तो उसके सिवाय, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–2 भाग 2 से 4 में यथा परिभाषित वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वेतन, छुट्टी वेतन या जीवन निर्वाह अनुदान, यदि देय हो, पर देय समुचित मँहगाई वेतन और बाह्य सेवा के संबंध में प्राप्त वेतन के प्रकार का कोई पारिश्रमिक भी है;

(ग) "परिवार" से

(एक) पुरुष अभिदाता के मामले में अभिदाता की पत्नी या पत्नियों और संतान तथा अभिदाता के मृत पुत्र की विधवा या विधवाओं और संतान अभिप्रेत है।

परन्तु यदि अभिदाता यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उससे न्यायिक रूप से पृथक कर दी गयी है या उस समुदाय की, जिसकी वह अंग है, रूढ़िजन्य विधि के अधीन भरण–पोषण की हकदार नहीं रह गयी है तो उसे ऐसे मामलों में जिनसे यह नियमावली संबंधित हो, आगे से अभिदाता के परिवार का सदस्य नहीं समझी जायेगा जब तक कि अभिदाता बाद में लिखित रूप में लेखा अधिकारी को यह सूचित न करे कि वह परिवार की सदस्य समझी जाती रहेगी।

निधि से अन्तिम प्रत्याहरणः–

(1) इसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अन्तिम प्रत्याहरण जो प्रतिदेय नहीं होगा, विभागाध्यक्ष द्वारा किसी भी समय निम्नलिखित प्रकार से स्वीकृत किया जा सकता है।

आवेदन पत्र और स्वीकृति आदेश का प्ररूप परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं।

टिप्पणीः–

(अ) अभिदाता द्वारा बारह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके पश्चात् बहाली हो गयी हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियाँ यदि कोई हों, भी हैं) पूरी करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवा–निवृत्ति के दिनॉक से पूर्ववर्ती दस वर्ष के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके जमा खाते में विद्यमान धनराशि से निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजन के लिये, अर्थातः

(क) निम्नलिखित मामलों मेंः

(एक) हाई स्कूल के बाद शैक्षिक प्राविधिक, वृत्तिक या व्यवसायिक पाठ्क्रम के लिए भारत के बाहर शिक्षा, और

(दो) हाई स्कूल के बाद भारत में चिकित्सा, अभियंत्रण या अन्य प्राविधिक विशेषित पाठय्क्रम में, अभिदाता या अभिदाता की किसी आश्रित संतान के उच्चतर शिक्षा पर व्यय जिसके अन्तर्गत जहॉ आवश्यक हो, यात्रा व्यय भी है, की पूर्ति के लिये।

(ख) अभिदाता के पुत्रों या पुत्रियों और उस पर वास्तविक रूप से आश्रित किसी अन्य संबंधी के विवाह के संबंध में व्यय की पूर्ति के लिये,

(ग) अभिदाता, उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तविक रूप में आश्रित किसी अन्य व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या विकलॉगता के संबंध में व्यय जिसके अन्तर्गत, जहॉ आवश्यक हो, यात्रा–व्यय भी है, की पूर्ति के लिए।

(ब) अभिदाता द्वारा पन्द्रह वर्ष की सेवा (जिसके अन्तर्गत निलम्बन की अवधि, यदि उसके बाद बहाली हुई हो, और सेवा की अन्य खण्डित अवधियॉ यदि कोई हों, भी हैं) पूरा करने के पश्चात् या अधिवर्षिता पर उसकी सेवानिवृत्ति के दिनॉक के पूर्ववर्ती 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, और वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) के क्रय के लिए अग्रिम की पात्रता के लिए प्रवृत वेतन के संबंध में निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, निधि में उसके जमाखाते में विद्यमान धनराशि में निम्नलिखित एक या अधिक प्रयोजनों के लिये, अर्थात्–

(एक) वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–5, भाग–1 में दिये गये नियमों के अधीन मोटरकार, मोटर साइकिल या स्कूटर (जिसके अन्तर्गत मोपेड भी है) क्रय करने या इस प्रयोजन के लिये पहले से लिये गये अग्रिम के प्रतिदान के लिए।